रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 1987/माघ 22, 1908
No. 74] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 1987/MAGHA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सं० 20/87-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 91 (अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम

4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निरीक्षण और लेखापरीक्षा महानिदेशालय (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) नई दिल्ली मे विशेष कार्य अधिकारी (विधेयक) को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी नियुक्त करता है और उन्हे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर की शक्तिया विनिहित करता है जिनका प्रयोग वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र मे ऐसे मामलो के अन्वेषण और अधिनिर्णयन के प्रयोजनो के लिए कर सकता है जो उन्हे समय-समय पर, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा समनुदिष्ट किए जाए।

[फा. सं. 207/41/86-के उ. शु.-6 (पार्ट)]

अ. कु प्रसाद, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 11th February, 1987

NOTIFICATION

NO. 20/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Officer on Special Duty (Bills) in the Directorate General of Inspection and Audit (Customs and Central Excise), New Delhi, as Central Excise Officer and invests him with the powers of Collector of Central Excise, to be exercised by him throughout the territory of India, for the purposes of investigation and adjudication of such cases, as may, from time to time, be assigned to him by the said Central Board of Excise and Customs.

[F. No. 207/41/86-CX. 6 Pt.]

A. K. PRASAD, Under Secy.

Central Board of Excise and Customs.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987